प्रेस विज्ञप्ति

जनपद भदोही

दिनांक-03.09.2026

◆"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान

◆ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के आरोप में दोषी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा तथा ₹1500/- अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

◆वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा

आवेदक दिनांक-06.01.2014 को मोटरसाईकिल से कार्य सरकार हेतु जा रहा था। एक कार पीछे से आवेदक के मोटर साईकिल से टक्कर मार दिया, जिससे वह मोटर साईकिल सहित गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया और बायें हाथ में काफी चोट आयी है तथा मोटर साईकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। कार चालक मौकै से फरार हो गया। जिला अस्पताल महाराजा चेत सिंह ज्ञानपुर द्वारा प्राथमिकी इलाज के बाद रेफर कर दिया गया। अभियुक्त मंतोष पाल के विरुद्ध थाना-ज्ञानपुर, जिला-भदोही द्वारा अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में एवं *श्री अभिनव त्यागी* पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय से त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व एपीओ वीरेंद्र वर्मा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 03.09.2026 को मा0 न्यायाधीश आशीष कुमार सिंह अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानपुर-भदोही द्वारा अभियुक्त मंतोष पाल पुत्र शिवनाथ पाल निवासी गुलौरी थाना गोपीगंज जनपद भदोही को अभियोग अंतर्गत धारा-279, 337, 427 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा तथा ₹1500/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड का कोई भाग अदा न करने पर उन्हें 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।